आज़ादी का अमृत महोत्सव

एनएचपीसी की कॉरपोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व और धारणीयता नीति

CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY & SUSTAINABILITY POLICY OF NHPC

संशोधन-III

अप्रैल, 2021

Revision-III

April, 2021

एनएचपीसी लिमिटेड

NHPC Limited

(भारत सरकार का उद्यम)

(A Government of India Enterprise)

एनएचपीसी की कॉरपोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व और धारणीयता नीति

CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY & SUSTAINABILITY POLICY OF NHPC

संशोधन–III

अप्रैल, 2021

Revision-III

April, 2021

एनएचपीसी लिमिटेड

NHPC Limited

(भारत सरकार का उद्यम)

(A Government of India Enterprise)

संशोधन–III के बारे में

अप्रैल, 2021

सीएसआर नीति में कंपनी के बोर्ड द्वारा अपनी सीएसआर समिति की सिफारिशों को ध्यान में रखते हुए दिए गए दृष्टिकोण एवं दिशा–निर्देश और गतिविधियों के चयन, कार्यान्वयन और निगरानी के साथ–साथ वार्षिक कार्य योजना बनाने के लिए मार्गदर्शक सिद्धांत शामिल हैं।

एनएचपीसी की सीएसआर व धारणीयतानीति एनएचपीसी निदेशक मण्डल के अनुमोदन से दिसम्बर, 2013 में जारी की गई थी। इस नीति को कंपनी अधनियिम, 2013 की धारा 135 के तहत सीएसआर के विशिष्ट प्रावधानों और कारपोरेट कार्य मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जारी की गई कंपनी (कारपोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व नीति) नियमावली के अनुरूप संशोधित किया गया और इसे दिनांक 7 जुलाई, 2014 और 17 अप्रैल, 2017 को एनएचपीसी निदेशक मंडल द्वारा अनुमोदित किया गया।

कारपोरेट कार्य मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जारी कंपनी (कारपोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व नीति) नियम, 2014 को कंपनी (कारपोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व नीति) संशोधन नियम, 2021 के रूप में दिनांक 22 जनवरी, 2021 की राजपत्र अधिसूचना द्वारा संशोधित किया गया है।

तदनुसार, एनएचपीसी की सीएसआर व धारणीयता नीति को अद्यतन किया गया है और एनएचपीसी निदेशक मण्डल ने दिनांक 13.08.2021 को आयोजित अपनी 447वीं बैठक में इस नीति को अनुमोदित किया है।

ABOUT REVISION - III

April, 2021

The CSR Policy contains the approach and direction given by the Board of the Company, taking into account the recommendations of its CSR Committee, and includes guiding principles for Selection, implementation and monitoring of activities as well as formulation of Annual Action Plan.

CSR & Sustainability Policy of NHPC was issued in December, 2013 with the approval of NHPC Board. The same was further amended and approved by the NHPC Board on 7th July, 2014 & 17th April, 2017 in line with the Companies Act, 2013 having specific provisions for CSR under Section 135 and also the Companies (Corporate Social Responsibility Policy) Rules issued by the Ministry of Corporate Affairs, Government of India.

The Companies (Corporate Social Responsibility Policy) Rules, 2014 issued by the Ministry of Corporate Affairs, Government of India has been amended vide Gazette notification dated 22nd January, 2021 as the Companies (Corporate Social Responsibility Policy) Amendment Rules, 2021.

The CSR & Sustainability Policy of NHPC has been updated accordingly and has been approved by the NHPC Board in its 447th meeting held on 13th August, 2021.

विषय–वस्तु

		पृष्ठ सं.
1.	एनएचपीसी का सीएसआर दृष्टिकोण	6
2.	एनएचपीसी का सीएसआर लक्ष्य	6
3.	प्रस्तावना	8
4.	परिचय	8
5.	उद्देश्य और कार्यक्षेत्र	12
6.	योजना	14
7.	क्रियान्वयन हेतु प्रबंधन ढांचा	18
8.	भूमिकाएं और उत्तरदायित्व	20
9.	संसाधन आवंटन	22
10.	क्रियान्वयन	26
11.	प्रबोधन	28
12.	कार्य–निष्पादन का मूल्यांकन, प्रभाव आकलन और रिपोर्टिंग	30
13.	समझौता–ज्ञापन मूल्यांकन	32
14.	अनुलग्नक–1 : सीएसआर क्रियाकलापों की सूची	34

CONTENTS

		Page No.
1.	NHPC's CSR Vision	7
2.	NHPC's CSR Mission	7
3.	Preamble	9
4.	Introduction	9
5.	Objectives & Scope	13
6.	Planning	15
7.	Management Structure for implementation	19
8.	Roles & Responsibilities	21
9.	Resource Allocation	23
10.	Implementation	27
11.	Monitoring	29
12.	Evaluation of Performance Impact Assessment and Reporting	31
13.	MoU Evaluation	33
14.	Annex I: List of CSR activities	35

एनएचपीसी का सीएसआर दृष्टिकोण

- मानव, पृथ्वी और संगठनात्मक लक्ष्यों/संवर्धन को ध्यान रखते हुए धारणीयता विकास और समावेशी संवृद्धि के लिए योगदान करना।

एनएचपीसी का सीएसआर लक्ष्य

- व्यापक स्तर पर समाज में गुणवत्तापूर्ण जीवन सुधार के लिए प्रतिबद्ध व सामाजिक रूप से उत्तरदायी कारपोरेट कंपनी बनना।
- हम जिन समुदायों से जुड़े हुए हैं, उनके लिए सुविधाओं का सृजन करना और उन्हें विकसित करना।
- सभी हितधारकों के सामूहिक और एकीकृत प्रयास के माध्यम से आर्थिक, पर्यावरणीय और कल्याणकारी विकासोन्मुखी उद्देश्यों में संतुलन बनाए रखना।

NHPC's CSR Vision

- To contribute to sustainable development and inclusive growth while taking care of People, Planet and organizational goals / growth.

NHPC's CSR Mission

- To become socially responsible corporate entity committed to improving the quality of life of the society at large.
- To create and develop facilities for the communities we engage with.
- To balance social, economic and environmental development objectives through collective and unified efforts of all stakeholders.

कॉरपोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व और धारणीयता नीति

1. प्रस्तावना

1.1 एनएचपीसी लिमिटेड एक मिनी रत्न श्रेणी–1 कंपनी है जो भारत तथा विदेश में परम्परागत और गैर–परम्परागत स्रोतों के माध्यम से विद्युत के एकीकृत और दक्ष विकास की योजना, संवर्धन तथा व्यवस्था हेतु प्रतिबद्ध है।

1.2 पर्यावरण और लोगों के प्रति एनएचपीसी की प्रतिबद्धता इसके कॉरपोरेट – दृष्टिकोण और उद्देश्य, अपनाई गई नीतियों तथा व्यवहारों से संपुष्ट होती है।

1.3 एनएचपीसी युनाइटेड नेशन्स ग्लोबल कॉम्पेक्ट (यूएनजीसी) का भी सदस्य है और मानवाधिकारों, श्रमिक मानदंडों, पर्यावरणीय जागरूकता तथा भ्रष्टाचार–रोधी सिद्धांतों का भी पालन करता हैं।

1.4 एनएचपीसी की सीएसआर और धारणीय विकास नीति का उद्देश्य कंपनी तथा इसके हितधारकों के दीर्घावधि पर्यावरणीय, सामाजिक तथा आर्थिक विकास मुद्दों को सुकर बनाना है।

2. परिचय

2.1 एनएचपीसी ने कंपनी संरचना अधनियिम, 2013 की धारा 135 में उल्लिखित सीएसआर नीति और कारपोरेट कार्य मंत्रालय भारत सरकार द्वारा अधिसूचित की गई कंपनी नियमावली (सीएसआर निति) व इस संबंध में दिष्ट स्पष्टीकरणों और उद्यम विभाग, भारत सरकार द्वारा जारी किए गए सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों के लिए कारपोरेट सामाजिक उत्तरदायत्वि और धारणीयता संबंधी दिशा–निर्देश, जो 01 अप्रैल, 2014 से लागू हैं, के अनुसार वर्ष 2013 में बनाई गई कारपोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व (सीएसआर) और धारणीयता नीति में संशोधन किया है।

2.2 कॉरपोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व और धारणीय विकास नीति एनएचपीसी के व्यापार संचालन हेतु आधार होगी। इसका उद्देश्य धारणीय विकास और नैतिकतापूर्ण व्यापार व्यवहारों को अपनाने के साथ लाभ को अधिकतम करने तथा दीर्घकालिक वृद्धि के उद्देश्यों का एकीकरण करना होगा।

2.3 इस प्रकार कॉरपोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व और धारणीय विकास नीति हितधारकों की आकांक्षाओं को पूरा करने और लोगों, पृथ्वी तथा संगठन के धारणीय विकास में योगदान देने की कंपनी की प्रतिबद्धता का एक कथन है।

CSR-SUSTAINABILITY POLICY

1. PREAMBLE

1.1 NHPC Limited is a Mini Ratna Category-I Company committed to plan, promote and organize an integrated and efficient development of power through conventional and non- conventional sources in India and abroad.

1.2. NHPC's commitment towards environment and people is affirmed through its Corporate Vision and Mission, policies and practices adopted by the organization.

1.3. NHPC is also a member of the United Nations Global Compact (UNGC) and subscribes to the principles of human rights, labour standards, environmental consciousness and anti- corruption.

1.4. NHPC's CSR & Sustainability Policy aims at facilitating long-term environmental, social and economic development issues of the Company and its stakeholders.

2. INTRODUCTION

2.1 NHPC has amended its Corporate Social Responsibility (CSR) and Sustainability Policy, formulated in the year 2013, in accordance with the CSR Policy framework mentioned in the Section-135 of the Companies Act,2013 and the Companies (CSR Policy) Rules notified / clarifications issued by Ministry of Corporate Affairs, Government of India and Guidelines on Corporate Social Responsibility and Sustainability for Central Public Sector Enterprises issued by Department of Public Enterprises, Government of India which are effective from 1st April2014.

2.2 The CSR & Sustainability Policy will form the basis for conducting NHPC's business. It will aim to integrate the objectives of profit maximization & long-term growth with sustainable development and adoption of ethical business practices.

2.3 CSR & Sustainability Policy is thus a statement of company's commitment to fulfill stake holders' aspiration and contributing to sustainable development of people, planet and the organization.

2.4 एनएचपीसी के प्रमुख हितधारकों में इसके कर्मचारी, शेयरधारक, परियोजना प्रभावित परिवार, स्थानीय समुदाय, पंचायत, ब्लाक तथा जिला प्रशासन जैसे स्थानीय निकाय आदि शामिल होते है।

2.5 नीति का बल दिए जाने वाला क्षेत्र दो स्तरीय है अर्थात्

क) संगठनात्मक सत्यनिष्ठा और नैतिकतापूर्ण व्यवहार के उच्च स्तरों को बनाए रखते हुए एक सामाजिक रूप से उत्तरदायी तरीके, रिपोर्टिंग में पारदर्शिता के प्रत्याशित मानकों से अनुरूपता और हमारे क्रियाकलापों के सभी क्षेत्रों में कार्य–निष्पादन का प्रकटीकरण, कर्मचारियों के कल्याण हेतु चिंता का प्रदर्शन, प्रचालनात्मक और प्रबंधन व्यवहारों को अपनाते हुए व्यापार का संचालन। यह सभी हितधारकों के भरोसे और विश्वास को जीतने के लिए सामाजिक और पर्यावरणीय धारणीयता को बढ़ावा देगा।

यह शीर्ष प्रबंधन की सक्रिय भागीदारी के साथ सभी कर्मचारियों के सामूहिक तथा समन्वित प्रयासों, सामाजिक और पर्यावरणीय रूप से धारणीय पद्धतियों को अपनाने की आवश्यकता के साथ सभी हितधारकों के मध्य जागरूकता, सुग्राहीकरण तथा समावेशन के प्रसार हेतु सक्रिय आंतरिक संचार रणनीतियों को अपनाकर किया जाना प्रस्तावित है।

ख) एनएचपीसी के प्रचालनों तथा क्रियाकलापों द्वारा सामाजिक, आर्थिक तथा पर्यावरणीय रूप से सीधे प्रभावित होने वाले प्रमुख हितधारकों की चिंताओं पर ध्यान देना।

2.6 एनएचपीसी के कॉरपोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व और धारणीय विकास क्रियाकलापों का विस्तार मात्र परोपकारी भाव प्रदर्शन से परे होगा और उनका उद्देश्य संगठन के व्यापार लक्ष्यों से एकीकरण का होगा।

2.7 जहां–कहीं हितधारकों की आवश्यकता तथा आकांक्षाओं को समझने के लिए वांछनीय हो, एक आधार रेखा सर्वेक्षण और/अथवा आवश्यकता आकलन अध्ययन करवाया जा सकता है। उक्त के आधार पर, उचित सीएसआर तथा धारणीयता योजनाओं/क्रियाकलापों की पहचान कार्यान्वयन हेतु की जाएगी।

2.8 सीएसआर तथा धारणीयता योजनाओं का चयन यह सुनिश्चित करने के लिए किया जाएगा कि अधिकतम लाभ समाज के निर्धन/पिछड़े तथा जरूरतमंद तबके तक पहुंचे और पर्यावरण की गुणवत्ता के सुधार में योगदान हो।

2.4 NHPC's key stakeholders include Employees, Shareholders, Project Affected Families, Local Communities, Local Bodies such as Panchayat, Block and District Administration etc.

2.5 The thrust of the Policy is two pronged viz.

a) Conducting the business in a socially responsible way by maintaining high level of organizational integrity and ethical behaviour, in conformity with expected standards of transparency in reporting and disclosing the performance in all spheres of our activities, demonstration of concern for welfare of the employees, adoption of operational methods and management practices. This will promote social and environmental sustainability to win the trust and confidence of all stakeholders.

This is proposed to be achieved through collective and united efforts of all employees with active involvement of top management, backed up by active internal communication strategies to spread awareness, sensitize and internalize amongst all internal stakeholders the need to adopt socially and environmentally sustainable methods.

b) Addressing the social, economic and environmental concerns of key stakeholders directly impacted by NHPC's operations & activities.

2.6 NHPC's CSR & Sustainability activities will extend beyond mere philanthropic gestures and will aim to integrate it with organization's business goals.

2.7 Baseline survey and/or Need Assessment study may be conducted, wherever desirable to understand the need and aspiration of the stakeholders. Based on the same, suitable CSR & Sustainability schemes/ activities will be identified for implementation.

2.8 Selection of CSR & Sustainability schemes will be made to ensure maximum benefits reach the poor/backward & needy sections of the society and contribute to improve the quality of environment.

2.9 बाध्यकारी क्रियाकलापों पर व्यय सीएसआर तथा धारणीयता योजनाओं/क्रियाकलापों के प्रति लेखांकित नहीं किया जाएगा।

2.10 एनएचपीसी की सीएसआर तथा धारणीयता नीति के प्रावधान समय पर इस विषय पर सरकार द्वारा जारी दिशा–निर्देशों के अनुसार परिवर्तित/संशोधित होंगे।

2.11 एनएचपीसी संसाधनों के ईष्टतम उपयोग, सामाजिक–आर्थिक अथवा पर्यावरणीय प्रभाव को अधिकतम करने के लिए विशेषज्ञता तथा क्षमताओं के मध्य तालमेल करने के लिए मेगा परियोजनाओं की आयोजना, क्रियान्वयन तथा प्रबोधन में अन्य सीपीएसई के साथ सहयोग के लिए समझौते कर सकेगी।

2.12 कॉरपोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व और धारणीयता विद्युत मंत्रालय के साथ किए जाने वाले कार्य–निष्पादन मूल्यांकन हेतु समझौता–ज्ञापन के पैरामीटरों में से एक होगा जिसके लिए अधिभार समय पर इस प्रयोजन हेतु भारत सरकार द्वारा निर्णय किए गए अनुसार होगा।

3.0 उद्देश्य तथा कार्यक्षेत्र

3.1 उद्देश्य

- प्रमुख हितधारकों, जिसमें एनएचपीसी के प्रचालनों और गतिविधियों से प्रत्यक्ष रूप से प्रभावित लोग भी शामिल हैं, के सामाजिक, आर्थिक, पर्यावरणीय और कल्याण से संबंधित मुद्दों पर ध्यान देना।
- हरित प्रौद्योगिकियों, प्रक्रियाओं तथा मानकों को अपनाना जो सामाजिक तथा पर्यावरणीय धारणीयता में योगदान देती हों।
- क्षमता निर्माण उपायों, सीमांत और अवंचित तबकों/समुदायों के सशक्तिकरण के माध्यम से समावेशी वृद्धि तथा सामयिक विकास में योगदान देना।

3.2 कार्यक्षेत्र

- सीएसआर/धारणीयता के अंतर्गत चुनी गई योजना, क्रियाकलाप मुख्यतः एनएचपीसी लिमिटेड के स्टाफ के अलावा अन्य हितधारकों को लाभ पहुंचाएंगी। यदि, इस पहल का लाभ एनएचपीसी के कर्मचारियों और उनके परिवारों को दिया जाता है, तो केवल एनएचपीसी के कर्मचारियों और उनके परिवारों के अलावा अन्य पर किए गए आनुपातिक व्यय को ही सीएसआर के तहत माना जाएगा।
- कारपोरेट स्तर और एनएचपीसी की परियोजनाओं/फील्ड यूनिटों दोनों के स्तर पर सीएसआर तथा धारणीयता योजनाओं की पहचान तथा चयन,

2.9 Expenditure on mandatory activities, or activities carried out for fulfillment of any other statutory obligations under any law in force in India will not be accounted against CSR & Sustainability schemes/ activities.

2.10 Provisions of NHPC's CSR & Sustainability Policy will be revised/ amended in accordance with the guidelines on the subject as may be issued by the Government from time to time. Any changes in the legal provisions or Government guidelines shall be deemed to be adopted as per applicability provisions issued from time to time.

2.11 NHPC will be open to join hands with the other CPSEs in planning, implementing and monitoring of mega Projects for optimal use of resources, synergy of expertise and capabilities for maximizing socio-economic or environmental impact.

2.12 Corporate Social Responsibility and Sustainability can be one of the parameters of MoU for Performance Evaluation to be entered into with Ministry of Power (MoP) with weightage as decided by the Government of India (GoI) from time to time for this purpose.

3. OBJECTIVES &SCOPE

3.1 OBJECTIVES

- To address the social,economic, environmental and welfare concerns of key stakeholders including those directly impacted by NHPC's operations & activities.
- Adopt green technologies, processes and standards that contribute to social and environmental sustainability.
- Contribute to inclusive growth and equitable development through capacity building measures, empowerment of marginalized and under privileged sections/communities.

3.2 SCOPE

- Schemes/ Activity chosen under CSR/ Sustainability should primarily benefit stakeholders other than the staff of NHPC Limited. In case, the benefits of the initiative are extended to NHPC employees & their families, the proportionate expenditure incurred on other than NHPC employees & their families shall be considered under CSR.

क्रियान्वयन में मार्गदर्शन, योजनाओं/क्रियाकलापों के प्रबोधन तथा समीक्षा हेतु एक उचित संगठन ढांचा होगा।

- एनएचपीसी निगम की सीएसआर तथा धारणीयता नीतियों के संबंध में अपने कर्मचारियों के सुग्राहीकरण और उन्हें प्रशिक्षण प्रदान करने तथा पर्यावरणीय संरक्षण, सामाजिक विकास के प्रति वांछित मनोवृति परिवर्तन लाने तथा नैतिकतापूर्ण व्यापार व्यवहारों को अपनाने की आवश्यकता लाने के लिए कदम उठाएगा।
- एनएचपीसी ऐसी योजनाओं/क्रियाकलापों का क्रियान्वयन करेगा जो समाज को दृश्य सामाजिक, आर्थिक या पर्यावरणीय लाभ दें।
- एनएचपीसी धारणीय प्रौद्योगिकियों को अपनाने में संबद्ध आपूर्तिकर्ताओं तथा संविदाकारों को संभव सीमा तक अपने सीएसआर–धारणीयता प्रयासों के एक भाग के रूप शामिल करने के लिए भी प्रयास करेगी।

4.0 योजना

4.1 परियोजना की योजना हेतु बल दिए जाने वाले क्षेत्रों में परियोजनाओं/योजनाओं की पहचान हेतु एनएचपीसी द्वारा उपलब्ध डाटा का उपयोग किया जाएगा। एनएचपीसी सीएसआर तथा धारणीय विकास क्रियाकलापों हेतु अधिमानतः मध्यम अवधि (1–3 वर्ष) परियोजनाओं को तैयार करेगी जिनकी समय पर समीक्षा की जाएगी।

4.2 समाज के जरूरतमंद तबके के लाभ और पर्यावरणीय धारणीयता में योगदान देने वाली परियोजनाओं को प्राथमिकता दी जाएगी।

4.3 हमारे परियोजना क्षेत्र के निकट में रहने वाले हितधारकों और हमारे प्रचालनों तथा क्रियाकलापों को सीधे प्रभावित करने वालों को सीएसआर तथा धारणीयता क्रियाकलापों के लाभग्राहियों के रूप में प्राथमिकता दी जाएगी।

4.4 एनएचपीसी की परियोजना, अधिकतर हिमालय की ऋंखला और सुदूर क्षेत्रों में अवस्थित हैं। अतः एनएचपीसी अपनी परियोजनाओं, पावर स्टेशनों या क्षेत्रीय/संपर्क कार्यालय/निगम मुख्यालय के निकट होने वाली सीएसआर व धारणीयता गतिविधियों पर जोर देगी। यह भी सुनिश्चित किया जाएगा कि कम से कम 80 प्रतिशत सीएसआर एवं धारणीयता की योजनाओं/गतिविधियों को एनएचपीसी की परियोजनाओं, पावर स्टेशनों, कार्यालयों में 25 किलोमीटर के भीतर और उसी जिले में निष्पादित किया जाए। तथापि भारत सरकार की राष्ट्रीय योजनाओं/अभियानों की आवश्यकताओं व उनके तहत प्राप्त निर्देशों के अनुसार 25 किलोमीटर के दायरे से बाहर के क्षेत्रों का भी चयन किया जा सकता है जिसमें

- NHPC will have an appropriate organization structure both at corporate level and NHPC's projects/field units for identification & selection of CSR & Sustainability schemes, guidance in implementation, monitoring and review of the schemes/ activities.
- NHPC will take steps to sensitize and impart training to its employees regarding CSR & Sustainability policies of the Corporation and to bring about the desired attitudinal change towards environmental protection, social development & the need to adopt ethical business practices.
- NHPC will take up schemes/activities which would give visible social, economic or environmental benefits to the society.
- NHPC will also make efforts, to the extent possible, to involve the Suppliers and Contractors associated in the adoption of sustainable technologies as a part of its CSR- Sustainability endeavours.

4. PLANNING

4.1 For Planning of project, available data will be used by NHPC for identification of Projects/Schemes in the thrust areas. NHPC will prepare preferably medium term (1-3 year) projects for CSR& SD activities which will be reviewed from time to time.

4.2 Priority will be for activities contributing to benefits of needy section of the society and environmental sustainability.

4.3 The stakeholders residing in the vicinity of our project area and who are directly impacted by its operations and activities will be given priority as beneficiary of CSR and Sustainability activities.

4.4 NHPC's projects are situated mostly in the Himalayan belt and remote areas. Hence, NHPC's thrust will be to undertake CSR& Sustainability activities primarily near to our projects, Power stations or Regional/ Liaison/Corporate Office. It will be ensured that at least 80% of the CSR & Sustainability schemes / activities are executed in and around NHPC's Projects, Power Stations and offices preferably within 25 Km and in the district where the Project is located. However, other locations beyond 25 Km may also be chosen, based on the needs and as per the direction of Govt. of India on National schemes / campaign, wherein more than 20% amount of the CSR Budget may be spent, for the larger benefit of society/ environment.

से सीएसआर की बजट राशि का 20% से अधिक भाग समाज/पर्यावरण के कल्याण के लिए किया जाएगा।

4.5 सीएसआर तथा धारणीयता योजनाओं के क्रियान्वयन के विकल्प को अधिमानतः एनएचपीसी यूनिटों के प्रचालन वाले जिले/उप–मंडल/ब्लाकों में प्रशासनिक प्राधिकारियों के साथ परामर्श/मिलजुल कर चुना जाएगा। यह इन प्राधिकारियों द्वारा लिए जा रहे कार्यों/पहलों के दोहराव से बचने में सहायता करेगा ताकि समाज के लक्षित खंडों की वास्तविक आवश्यकताओं पर चुनिंदा योजनाओं द्वारा ध्यान दिया जा सके और जमीनी स्तर पर पहचान की गई योजनाओं के प्रामाणिक बेसलाइन डेटा या उचित आवश्यकता मूल्यांकन की उपलब्धता भी सुनिश्चित किया जा सके।

4.6 एनएचपीसी निम्नलिखित बल दिए जाने वाले क्षेत्रों में सीएसआर तथा धारणीयता प्रयासों पर ध्यान केन्द्रित करने का प्रयास करेगी :

1. समुदायिक विकास को सुकर बनाना।
2. पर्यावरणीय संरक्षण तथा जैव–विविधता के संरक्षण का समर्थन करना।
3. विद्यमान शैक्षिक संस्थानों के उन्नयन सहित दिशा–प्रशिक्षण आधारभूत ढांचे का सृजन।
4. धारणीय आजीविका सृजन अवसरों का सृजन।
5. स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण आधारभूत ढांचे में सुधार।
6. स्वच्छता सुविधाओं, पेय जल योजनाओं का सृजन तथा सुधार।
7. सिंचाई, जल संरक्षण, ऊर्जा आवश्यकताओं के प्रबंधन और अवशिष्ट प्रबंधन की नूतन पद्धतियों को अपनाना।
8. कृषि फार्मिंग तकनीकों के स्वदेशी तरीकों को बढ़ावा देना और चिकित्सीय पौधों पर स्वदेशी ज्ञान का संरक्षण।
9. भारतीय परम्परा के अनुसार खेल–कूद, धरोहर, कला, संगीत एवं संस्कृति का संरक्षण और उसे बढ़ावा देना।

4.7 कंपनी अधिनियम, 2013 की अनुसूची–VII समय पर यथा संशोधित, के अनुसार, सीएसआर गतिविधियों की मदें एनएचपीसी द्वारा की जाएगी। आज की तारीख के अनुसार अनुसूची VII में अधिसूचित गतिविधियों को अनुबंध–I में दिया गया है। इसे जब भी सरकार द्वारा समय पर संशोधित/स्पष्ट किया जाएगा, संबंधित निदेशक के अनुमोदन के बाद उपयुक्त रूप से शामिल किया जाएगा। अनुसूची VII में दी गई मदों की सूची के अनुरूप किसी अन्य गतिविधि/वस्तुओं पर व्यय को सीएसआर व्यय में शामिल नहीं किया जाएगा।

4.5 Choice of CSR & Sustainability schemes for implementation will preferably be made in consultation/association with the Administrative authorities of District/Sub-division/Blocks/Panchayats in which the NHPC's Units are operating. This will help to avoid overlapping of the works/initiatives being undertaken by these authorities so that the genuine requirements of the targeted segments of the society are addressed by the chosen schemes and also ensure availability of authentic Baseline data or proper Need Assessment of identified schemes at the grass root level.

4.6 NHPC will endeavour to concentrate its CSR & Sustainability efforts in the following thrust areas:

i. Facilitating Community Development.

ii. Support Environmental protection and conservation of Biodiversity.

iii. Creation of Education, training infrastructure including upgrading existing educational institutions.

iv. Creation of Sustainable livelihood generation opportunities.

v. Improvement in Health and Family Welfare infrastructures.

vi. Creation & improvement of Sanitation facilities, drinking water schemes.

vii. Adoption of innovative methods of irrigation, conservation of water, management of energy requirements and waste management.

viii. Promotion of Indigenous methods of agricultural farming techniques and conservation of indigenous knowledge on medicinal plants.

ix. Preservation & promotion of sports, heritage, art, music & culture in keeping with the Indian tradition.

4.7 In accordance with Schedule VII of the Companies Act, 2013 as amended from time to time, the items of CSR activities, may be undertaken by NHPC. The activities notified in Schedule VII as on date is placed at Annexure-I. The same whenever amended/clarified from time to time by the Government will be suitably incorporated after the approval of concerned Director. Expenditure on any other activity / items not in conformity with the list of items given in Schedule VII will not be accounted towards CSR expenditure.

4.8 दीर्घावधि/मध्यम अवधि परियोजनाओं की योजना बनाते समय, उसकी पूर्णता तक प्रत्येक परियोजना की लागत को पूरा करने के लिए बजटीय प्रावधान सुनिश्चित किए जाएगें। प्रत्येक दीर्घावधि/मध्यम अवधि परियोजना को प्रत्येक वर्ष क्रियान्वित किए जाने वाले वार्षिक लक्ष्यों तथा क्रियाकलापों में विभाजित किया जाएगा और परियोजना की पूर्णता तक इन क्रियाकलापों के क्रियान्वयन के लिए बजट आवंटित किया जाएगा तथा प्रत्येक आगे वाले वर्ष हेतु निर्धारित लक्ष्यों की प्राप्ति निर्धारित की जाएगी।

4.9 सीएसआर तथा धारणीयता क्रियाकलापों को शार्ट–लिस्ट करते समय, सामाजिक मूल्य सृजन, पर्यावरण संरक्षण या धारणीय विकास में योगदान न देने वाले तदर्थ/एक बार के परोपकारी क्रियाकलापों को लेने से बचा जाएगा।

4.10 एनएचपीसी सीएसआर परियोजनाओं/कार्यक्रमों/सीएसआर गतिविधियों को शुरू करने के लिए अन्य कंपनियों के साथ इस तरह से सहयोग कर सकती है कि संबंधित कंपनियों की सीएसआर समितियां लागू सीएसआर नियमों के अनुसार ऐसी परियोजनाओं या कार्यक्रमों पर अलग से रिपोर्ट करने की स्थिति में हों।

4.11 सीएसआर नीति के अनुसार सीएसआर परियोजनाओं या कार्यक्रमों के डिजाइन, निगरानी और मूल्यांकन के साथ–साथ सीएसआर के लिए स्वयं के कर्मियों की क्षमता निर्माण के लिए अंतरराष्ट्रीय संगठनों को नियुक्त कर सकती है।

4.12 एनसचपीसी बोर्ड स्वयं को संतुष्ट करेगा कि इस प्रकार वितरित की गई धनराशि का उपयोग उसके द्वारा अनुमोदित उद्देश्यों और तरीके से किया गया है और मुख्य वित्तीय अधिकारी या वित्तीय प्रबंधन के लिए जिम्मेदार व्यक्ति इस आशय को प्रमाणित करेगा।

5.0 क्रियान्वयन हेतु प्रबंधन संरचना

5.1 सीएसआर तथा धारणीयता हेतु प्रबंधन ढांचा निम्नानुसार होगा :

क) बजट के आवंटन, प्रगति की समीक्षा और विभिन्न सीएसआर तथा धारणीयता पहलों के मार्गदर्शन हेतु अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक अथवा किसी स्वतंत्र निदेशक की अध्यक्षता वाली बोर्ड स्तरीय समिति।

ख) नोडल अधिकारी, अधिमानतः कार्यपालक निदेशक के दर्जे वाला तथा उसकी टीम, जो सीएसआर तथा धारणीयता योजनाओं/क्रियाकलापों की पहचान तथा चयन का समन्वय करेगा और उक्त के क्रियान्वयन की प्रगति पर एक प्रभावी निगरानी भी रखेगा।

ग) सीएसआर तथा धारणीयता योजनाओं/क्रियाकलापों आदि की पहचान, क्रियान्वयन और प्रबोधन के लिए क्षेत्र कार्यपालक निदेशक/परियोजना प्रमुख/यूनिट प्रमुख और उनकी टीम।

4.8 While planning long-term / mid-term projects, budgetary provisions to meet cost of each project till its completion will be ensured. Each long-term / medium term project will be broken up into annual targets and activities to be implemented each year and budget be allocated for the implementation of these activities and achievements of targets set for each successive year till the completion of the project.

4.9 While shortlisting the CSR & Sustainability activities, ad-hoc/ one time/ philanthropic activities, which do not contribute to social value creation, environment protection or sustainable development, will be avoided.

4.10 NHPC can collaborate with other Companies for undertaking CSR projects/ programmes/CSR activities in such a manner that the CSR committees of the respective companies are in a position to report separately on such projects or programmes in accordance with the applicable CSR rules.

4.11 Engagement of international organizations for designing, monitoring and evaluation of the CSR Projects or programmes as per CSR Policy as well as for capacity building of own personnel for CSR may be done.

4.12 The NHPC Board shall satisfy itself that the funds so disbursed have been utilized for the purposes and in the manner as approved by it and the Chief Financial Officer or the person responsible for the financial management shall certify to the effect.

5. MANAGEMENT STRUCTURE FOR IMPLEMENTATION

5.1 The Management structure for CSR & Sustainability will be as follows:

a) The Committee of Directors on CSR & Sustainability headed either by the CMD or an Independent Director to allocate budget, review the progress and guide various CSR & Sustainability initiatives.

b) Nodal Officer preferably of the Rank of Executive Director assisted by his team, who will co-ordinate the identification and selection of CSR & Sustainability schemes/activities and also exercise an effective oversight on progress of implementation of the same.

c) Regional ED/Project Head/Unit Head and his team for identification, implementation & monitoring of CSR & Sustainability schemes/activities etc.

6.0 भूमिका, और उत्तरदायित्व

6.1 सीएसआर और धारणीयता पर निर्देशकों की समिति

क.) परियोजनाओं के चयन, आयोजना, निष्पादन, प्रबोधन, मूल्यांकन और सीएसआर तथा धारणीयता योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन हेतु कार्यनीतियों के लिए मोटे तौर पर दिशा–निर्देशों के निरूपण की निगरानी करना।

ख.) सीएसआर समिति अपनी सीएसआर नीति के अनुसरण में सीएसआर व धारणीयता योजनाओं/गतिविधियों हेतु बजट के आवंटन के लिए एक वार्षिक कार्य योजना तैयार करेगी और बोर्ड को सिफारिश करेगी।

ग) वार्षिक योजना में ऐसी परियोजनाओं या कार्यक्रमों के निष्पादन के तरीके, परियोजनाओं या कार्यक्रमों के लिए निधियों के उपयोग के तौर–तरीके और कार्यान्वयन कार्यक्रम, परियोजनाओं या कार्यक्रमों के लिए निगरानी और रिपोर्टिंग तंत्र, आवश्यकता का विवरण और प्रभाव मूल्यांकन, परियोजनाओं या कार्यक्रमों के लिए यदि कोई हो, शामिल होंगे।

घ) बोर्ड वित्तीय वर्ष के दौरान किसी भी समय अपनी सीएसआर समिति की सिफारिश के अनुसार, उस प्रभाव के उचित औचित्य के आधार पर ऐसी योजना को बदल सकता है।

ड) एनएचपीसी की ढांचागत नीति कारपोरेट कार्य मंत्रालय डीपीई द्वारा जारी की गई दिशा–निर्देश अधिसूचनाओं परिपत्रों के अनुसार परियोजनाओं का चयन और अनुमोदन।

च) सीएसआर तथा धारणीयता क्रियाकलापों के क्रियान्वयन की आवधिक निगरानी।

छ) सीएसआर तथा धारणीयता योजनाओं की वार्षिक तौर पर धारणीयता रिपोर्टिंग।

(च) सीएसआर और सस्टेनेबिलिटी पर निदेशकों की समिति निदेशक मंडल को उनकी जानकारी, विचार और आवश्यक निर्देशों के लिए अर्धवार्षिक रिपोर्ट प्रस्तुत करेगी।

6.2 नोडल अधिकारी

क) सीएसआर एवं धारणीयता पर निदेशकों की समिति के विचारार्थ प्राप्त किए जाने वाले वार्षिक लक्ष्यों के साथ वर्ष के दौरान ली जाने वाली सीएसआर एवं धारणीयता योजनाओं को अन्तिम रूप देने तथा चयन करने के लिए क्षेत्रीय कार्यालयों/परियोजनाओं/पावर स्टेशनों/यूनिटों के साथ समन्वय करना।

6. ROLES &RESPONSIBILITIES

6.1 Committee of Directors on CSR &Sustainability

a. To oversee formulation of broad guidelines for selection of projects, planning, execution, monitoring, evaluation, impact assessment and strategies for efficient implementation of CSR & Sustainability schemes.

b. The CSR Committee shall formulate and recommend to the Board, an annual action plan in pursuance of its CSR Policy, for allocation of budget to CSR & Sustainability schemes/ activities.

c. The Annual Plan shall include the manner of execution of such projects or programmes, the modalities of utilization of funds and implementation schedules for the projects or programmes, monitoring and reporting mechanism for the projects or programmes, details of need and impact assessment, if any for the projects or programmes.

d. The Board may alter such plan at any time during the financial year, as per the recommendation of its CSR Committee, based on the reasonable justification to that effect.

e. Selection and recommendation for approval of projects shall be in accordance with the policy frame work of NHPC and Guidelines/ Notifications/ Circulars issued by the Ministry of Corporate Affairs / DPE.

f. Periodic monitoring of implementation of CSR & Sustainability activities.

g. Sustainability Reporting of CSR & Sustainability schemes annually.

h. The Committee of Directors on CSR & Sustainability will submit half yearly report to the Board of Directors for their information, consideration and necessary directions.

6.2 Nodal Officer

a. To co-ordinate with the Regional Offices/ Projects/ Power stations/Units to finalize and short list the CSR & Sustainability schemes to be taken up during the year along with the annual targets to be achieved for consideration of the Committee of Directors on CSR & Sustainability.

ख) नीति के अनुसार वित्तीय लक्ष्यों के मद्देनजर प्रत्येक परियोजना हेतु वार्षिक बजटीय आवश्यकता का संकलन और सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन हेतु उस पर कार्यवाही करवाना।

ग) सीएसआर तथा धारणीयता योजनाओं को बढ़ावा देने/सहयोग से संबंधित सूचना के आदान–प्रदान हेतु अन्य विभागों/पीएसयू के साथ समन्वय करना।

घ) सीएसआर तथा धारणीयता पहल के प्रभावी क्रियान्वयन हेतु आंतरिक हितधारकों के सुग्राहीकरण और शिक्षा हेतु एनएचपीसी के कर्मचारियों के लिए प्रशिक्षण कार्यशाला और संगोष्ठियों का आयोजन।

ड) बोर्ड स्तरीय समिति को सीएसआर तथा धारणीयता पहलों की प्रगति के संबंध में त्रैमासिक, अर्धवार्षिक रिपोर्ट प्रस्तुत करना।

च) वार्षिक सीएसआर तथा धारणीयता रिपोर्ट तैयार करना जिसमें, जहां–कहीं व्यवहार्य हो, वार्षिक रूप से अथवा अन्य किसी उचित समय अंतराल पर लिए जाने वाले क्रियाकलापों और क्रियाकलापों के प्रभाव आकलन रिपोर्टों की प्रगति तथा उपलब्धि दर्शाई गई हो।

6.3 क्षेत्रीय कार्यपालक निदेशक/परियोजना प्रमुख/यूनिट प्रमुख

क) जहां–कहीं अपेक्षित तथा आवश्यक हो, आधाररेखा/आवश्यकता आकलन अध्ययनों को करवाना।

ख) सीएसआर तथा धारणीयता योजनाओं की पहचान करना, और भौतिक तथा वित्तीय लक्ष्यों के साथ परियोजना प्रस्ताव तैयार करना।

ग) योजना के अनुमोदन तथा बजट के आवंटन, क्रियान्वयन, प्रबोधन और फोटोग्राफ, विडीयो क्लीपिंग्स और/अथवा दस्तावेजीय प्रमाणों के साथ सीएसआर तथा धारणीय विकास योजना की मासिक प्रगति रिपोर्ट को भेजने के लिए नोडल अधिकारी के साथ समन्वय करना।

(ध) प्रभाव आकलन पर लागू दिशा–निर्देशों के अनुसार जहां कहीं लागू हो, दीर्घावधि और अन्य योजना के लिए प्रभाव आकलन अध्ययन करवाएं।

ड) हितधारकों का प्रशिक्षण प्रदान करना।

7.0 संसाधन आवंटन

7.1 सीएसआर तथा धारणीयता नीति के अंतर्गत निर्धारित लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए एनएचपीसी ने कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 135 की उप धारा (5) के अंतर्गत उल्लिखित राशि को अलग से रखेगा जिसे वर्तमान में एनएचपीसी

b. To compile the annual budgetary requirement for each project keeping in view the financial targets in terms of the policy and getting it processed for approval of competent authority.

c. To coordinate with other departments/PSUs for exchange of information related to promotion/collaboration of CSR & Sustainability schemes.

d. To organize training workshops and seminars for the employees of NHPC for Sensitization and education of the internal stakeholders for efficient implementation of CSR & Sustainability Initiative.

e. To submit quarterly, half yearly, yearly report on the progress of CSR & Sustainability initiatives to the Committee of Directors on CSR & Sustainability.

f. To prepare annual CSR & Sustainability Report indicating progress and achievement of the activities and impact assessment reports of activities, wherever feasible, to be undertaken annually or at any other suitable time intervals.

6.3 Regional ED/Project Head/Unit Head

a) To get Baseline/Need Assessment studies conducted wherever feasible and required.

b) To identify CSR & Sustainability schemes, and prepare project proposal with physical and financial targets.

c) To co-ordinate with Nodal Officer for approval of scheme and allocation of budget, implementation, monitoring & sending the monthly progress report of the CSR/SD Scheme along with photographs, video clippings and/or documentary proofs.

d) To get Impact Assessment studies done for the long term and other scheme wherever applicable as per applicable guidelines on Impact assessment.

e) Imparting training to stakeholders.

7. RESOURCE ALLOCATION

7.1 To achieve the goals set forth under the CSR & Sustainability Policy, NHPC will set apart an amount specified under sub- section (5) of section 135 of Companies Act 2013, which is at present, at least two percent of the

निदेशक मंडल द्वारा अनुमोदित सीएसआर तथा धारणीयता कार्यों हेतु वार्षिक बजट के अनुसार 3 पूर्ववर्ती वित्तीय वर्ष के दौरान कंपनी के औसत कुल लाभ का कम से कम 02 प्रतिशत है।

7.2 सीएसआर तथा धारणीयता क्रियाकलापों हेतु वार्षिक बजट का 5 प्रतिशत तक आपातकालीन आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए निर्दिष्ट किया जाएगा, जो प्राकृतिक आपदाओं/ दुर्घटनाओं के कारण किए जाने वाले राहत कार्यों, और प्रधानमंत्री या अनुसूचित जाति, अनुसूचित जन जाति या अन्य पिछडे वर्गों या अल्पसंख्यकों, महिलाओं का सामाजिक आर्थिक विकास, राहत व कल्याण हेतु केंद्रीय सरकार द्वारा बनाई गई कोई अन्य निधि के प्रति दिए गए योगदान हेतु होगा।

7.3 आधार रेखा सर्वेक्षण/आवश्यकता आकलन अध्ययन, क्षमता निर्माण कार्यक्रमों जैसे कि प्रशिक्षण, कार्यशालाएं, संगोष्ठियों, सम्मेलन आदि और कंपनी के सीएसआर तथा धारणीयता एजेंडा को लागू करने के लिए सभी हितधारकों, चाहे आंतरिक हो अथवा बाहरी, के नियोजन हेतु कॉरपोरेट संचार कार्यनीतियों पर किए गए व्यय को इस प्रयोजन हेतु आवंटित बजट में से सीएसआर तथा धारणीयता व्यय के रूप में लेखांकित किया जाएगा।

7.4 क) विभिन्न क्षेत्र/परियोजना/यूनिट के क्रियान्वयन हेतु संस्तुत प्रस्तावों के आधार पर, सीएसआर तथा धारणीयता योजना/बजट के रूप में एक समेकित प्रस्ताव तैयार किया जाएगा और सीएसआर तथा धारणीयता कार्यों हेतु नोडल अधिकारी की सिफारिशों के साथ उसे अनुमोदन हेतु बोर्ड स्तरीय समिति को प्रस्तुत किया जाएगा।

ख) अनुमोदित वार्षिक योजना में शामिल न किए गए कार्यों/परियोजनाओं के संबंध में, उक्त पर नोडल अधिकारी के माध्यम से बोर्ड स्तरीय समिति के अनुमोदन हेतु कार्यवाही की जाएगी।

ग) उपरोक्तानुसार अनुमोदित सीएसआर तथा धारणीयता कार्यों का निष्पादन सीएसआर तथा धारणीयता कार्यों हेतु प्रत्यायोजनों के सेट के अनुसार किया जाएगा तथा सक्षम प्राधिकारी से अनुमोदित एक सेट के अनुसार कराया जाएगा।

7.5 संबंधित वर्ष के लिए निर्धारित लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए आवंटित बजट का उपयोग करने के लिए प्रत्येक यूनिट द्वारा सभी प्रयास किए जाने चाहिए। किसी चालू गतिविधि से संबंधित अव्ययित कोई भी राशि को वित्तीय वर्ष की समाप्ति से तीस दिन की अवधि के भीतर उस वित्तीय वर्ष के लिए किसी अनुसूचित बैंक में एक अव्ययित कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व खाते में अंतरित कर दी जाएगी। ऐसी राशि के अंतरण की तारीख से 03 वित्तीय वर्षों की अवधि के भीतर कॉर्पोरेट

average net profits of the company made during the three immediately preceding financial years, as the annual budget for CSR & Sustainability works during the year and approved by the Board of Directors.

7.2 Up to 5% of the annual budget for CSR and Sustainability activities will be earmarked for meeting the Emergency needs, which may arise on account of any relief works to be undertaken due to natural calamities/ disasters and contributions towards Prime Minister's or any other fund set up by the Central Government for socio-economic development and relief and welfare of Scheduled Caste, the Scheduled Tribe, other backward classes, minorities and women.

7.3 The expenditure incurred on baseline survey/need assessment/Impact assessment study, on capacity building programs such as training, workshops, seminars, conferences, etc. and on corporate communication strategies for engagement of all stakeholders, whether internal or external, to implement the CSR and Sustainability agenda of a company, would be accounted for as CSR and Sustainability expenditure from the budget allocated for this purpose.

7.4 a) Based on the proposals recommended for implementation by different Region/Project/Unit, a consolidated proposal in the form of CSR & Sustainability Plan/Budget will be prepared & submitted with the recommendations of the Nodal officer for CSR & Sustainability works for approval of Committee of Directors on CSR & Sustainability.

b) In respect of Works/Projects not included in the approved annual plan, the same will be processed for approval of the Committee of Directors on CSR & Sustainability through the Nodal Officer.

c) CSR & Sustainability works approved as above will be executed in accordance with a set of delegations for CSR & Sustainability works to be drafted and got approved from the competent authority.

7.5 All out efforts should be made by each of the Unit to utilize the allocated budget to achieve the targets fixed for the respective year. Any amount remaining unspent relating to an ongoing activity shall be transferred within a period of thirty day from the end of the financial year to an unspent Corporate Social Responsibility account in any Scheduled Bank for that financial year. This amount shall be spent in pursuance of its obligation towards the Corporate Social responsibility policy within a

सामाजिक उत्तरदायित्व नीति के प्रति अपने दायित्व के अनुसरण में यह राशि व्यय की जाएगी, ऐसा न करने पर, कंपनी 03 वित्तीय वर्ष के पूरा होने की तारीख से तीस दिन की अवधि के भीतर, अनुसूची–VII में निर्दिष्ट निधि में इसे अंतरित कर देगी।

7.6 यदि कोई व्यय नहीं की गई राशि किसी चालू परियोजना से संबंधित नहीं है, तो संदर्भित राशि को वित्तीय वर्ष की समाप्ति के छह माह की अवधि के भीतर अनुसूची VII में निर्दिष्ट निधि में अंतरित कर दिया जाएगा । उपयोग न करने के कारणों को बोर्ड की रिपोर्ट में विनिर्दिष्ट किया जाएगा।

7.7 सीएसआर तथा धारणीयता बजट के उपयोग में विलंब/कमी हेतु कारण, यदि कोई हो, को संबंधित यूनिटों द्वारा उचित औचित्यों को साथ प्रस्तुत किया जाएगा, जिन्हें भी सहमत समझौता–ज्ञापन लक्ष्यों के प्रति मूल्यांकन के समय प्रस्तुत किया जाएगा।

7.8 एनएचपीसी सीएसआर क्षमताओं का विकास अपने कार्मिकों व उन संस्थानों के क्रियान्वयन एजेन्सियों के माध्यम से करेगी जिनके पास कम से कम तीन वित्तिय वर्षों की उपलब्धियां हों। किंतु, एक वर्ष में ऐसे व्यय जिसमें प्रशासक ओवर हेड व्यय शामिल हों, वह कंपनी के सीएसआर खर्च के 5 प्रतिशत से अधिक नहीं होना चाहिए। प्रशासनिक ओवर हेड में किसी विशेष सीएसआर परियोजना या कार्यक्रम की डिजाइन, कार्यान्वयन, निगरानी और मूल्यांकन के लिए सीधे व्यय किए गए खर्च शामिल नहीं होंगे।

7.9 सीएसआर परियोजना कार्यकलापों से उत्पन्न अधिशेष कंपनी के व्यापारिक लाभ का भाग नहीं होंगे और उन्हें उसी परियोजना में वापस डाल दिया जाएगा अथवा उन्हें अव्ययित सीएसआर खाते में अंतरित करके सीएसआर नीति और कंपनी की वार्षिक कार्य योजना के अनुसरण में खर्च किया जाएगा अथवा ऐसी अधिशेष राशि को वित्तीय वर्ष समाप्त होने के छः माह की अवधि के भीतर अनुसूची–VII में विनिर्दिष्ट निधि में डाल दिया जाएगा।

8.0 क्रियान्वयन

8.1 बाहरी एजेंसियों का नियोजन अथवा उनके साथ भागीदारी करते समय योजित सीएसआर तथा धारणीयता कार्यों हेतु आवश्यक क्षमताओं तथा विशेषज्ञता की उपलब्धता के अतिरिक्त, ऐसी एजेंसियों की विश्वसनीयता, सत्यनिष्ठा का प्रमाणीकरण कार्य देने वाले प्राधिकारी द्वारा करवाया जाना चाहिए। ऐसे संगठन के पास इस प्रकार के किए गए कार्यक्रमों/परियोजनाओं से संबंधित कम से कम 03 वर्ष की उपलब्धियां होनी चाहिए। यह सुनिश्चित किया जाएगा कि सीएसआर संबंधी क्रियाकलाप कंपनी द्वारा स्वयं अथवा निम्नलिखित के माध्यम से शुरू किए जाएगा :

period of 03 financial years from the date of such transfer, failing which, the company shall transfer the same to a fund specified in schedule-VII, within a period of 30 days from the date of completion of the third financial year.

7.6 If an unspent amount does not relate to an ongoing project the referred amount shall be transferred to a Fund specified in Schedule VII, within a period of six months of the expiry of the financial year. The reasons for the non-utilization will be specified in Board's Report.

7.7 Reasons for delay / shortfall in utilization of CSR & Sustainability Budget, if any, will be supported with appropriate justifications by the concerned Units, which will also be submitted at the time of evaluation against the agreed MoU targets.

7.8 NHPC will build CSR capacities of their own personnel as well as those of their Implementing agencies through Institutions with established track records of at least three financial years but such expenditure including expenditure on administrative overheads for General management and Administration of CSR functions in the company, shall not exceed five percent of total CSR expenditure of the company in one financial year. The Administrative overheads shall not include the expenses directly incurred for the designing, implementation, monitoring and evaluation of a particular CSR project or programme.

7.9 Any surplus arising out of CSR activities shall not form part of the business profit of the Company and shall be ploughed back into the same project or shall be transferred to the Unspent CSR Account and spent in pursuance of CSR policy or transfer such surplus amount to a fund specified in Schedule-VII, within a period of six months of the expiry of the financial year.

8. IMPLEMENTATION

8.1 While engaging or partnering with the external agencies, apart from availability of necessary capabilities and expertise for the planned CSR-Sustainability works, credentials of reliability, integrity of such agencies should be got verified by the awarding authority. Such organizations will have a track record of at least 3 years in undertaking similar programs or projects. It shall be ensured that the CSR activities are undertaken by the Company itself or through:

(क) किसी कंपनी द्वारा एकल रूप में अथवा किसी अन्य कंपनी के साथ आयकर अधिनियम, 1961(1961 का 43) की धारा 12 ए और 80 जी के अधीन अधिनियम की धारा 8 अथवा रजिस्ट्रीकृत सार्वजनिक न्यास अथवा रजिस्ट्रीकृत सोसाइटी के अधीन स्थापित कंपनी, अथवा

(ख) केंद्रीय सरकार द्वारा अधिनियम की धारा 8 अथवा रजिस्ट्रीकृत न्यास अथवा रजिस्ट्रीकृत सोसाइटी के अधीन स्थापित कंपनी अथवा

(ग) संसद के अधिनियम अथवा राज्य के विधान के अधीन स्थापित कोई कंपनी अथवा

(घ) आयकर अधिनियम 1961 की धारा 12 ए और 80 जी के अधीन रजिस्ट्रीकृत सार्वजनिक न्यास अथवा रजिस्ट्रीकृत सोसाइटी अथवा अधिनियम की धारा 8 के अधीन स्थापित कंपनी जिसके पास ऐसे ही क्रियाकलाप शुरू करने का कम से कम तीन वर्षों का अनुभव हो।

8.2 क्रियान्वयन में चरण :

1. विशिष्ट प्रदेयो के लिए क्रियान्वयनकारी भागीदारों के साथ समझौता–ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए जाएगें।
2. अनुमोदित परियोजनाओं के क्रियान्वयन हेतु विस्तृत वार्षिक योजना को भौतिक तथा वित्तीय दोनों लक्ष्यों के संबंध में प्रमुख कार्य–निष्पादन संकेतकों/उपलब्धियों के साथ तैयार किया जाएगा।
3. परियोजना हेतु अपेक्षित बजटीय आवंटन को प्रबंधन द्वारा अनुमोदित किया जाएगा।

9.0 प्रबोधन

9.1 सीएसआर तथा धारणीयता योजनाओं की प्रगति के निकट प्रबोधन हेतु परियोजनाओं/विद्युत स्टेशनों/यूनिटों पर अथवा क्षेत्रीय स्तरों पर 2–3 सदस्य शामिल होने वाली एक विभागीय प्रबोधन समिति (डीएमसी) गठित की जाएगी।

9.2 विषय के विशेषज्ञता ज्ञान वाली योजनाओं/क्रियाकलापों के मामले में, समिति में एनएचपीसी के प्रतिनिधि सहित उपयुक्त बाहरी एजेंसियों से विशेषज्ञ भी शामिल होंगे।

9.3 भौतिक तथा वित्तीय पैरामीटरों को कवर करने वाले सभी प्रमुख कार्य–निष्पादन संकेतकों के संबंध में प्रगति का नियमित प्रबोधन किया जाएगा।

9.4 प्रत्येक स्थान में क्रियान्वयनाधीन होने वाली सीएसआर तथा धारणीयता योजनाओं की प्रगति को डीएमसी द्वारा कारपोरेट कार्यालय में सीएसआर तथा धारणीयता

a) A Company established under section 8 of the (Companies) Act, or a registered Public Trust or a Registered Society, registered under Section 12A and 80 G of the Income Tax Act, 1961 (43 of 1961), established by the Company, either singly or along with any other Company, or

b) A Company established under Section 8 of the Act or a registered Trust or a registered Society, established by the Central Government or State Government; or

c) Any entity established under an Act of Parliament or a State Legislature; or

d) A Company established under Section 8 of the Act, or a registered public trust or a registered Society, registered under Section 12A and 80 G of the Income Tax Act, 1961 and having an established track record of at least three years in undertaking similar activities.

8.2 Steps in implementation:

i. Memorandum of Understanding will be signed with the implementing partners with specific deliverables.

ii. Detailed Annual Plan of implementation of approved projects will be drawn up with key performance indicators/ milestones both with regards to physical and financial targets.

iii. The required budgetary allocation for the project will be approved by the Management.

9. MONITORING

9.1 Departmental Monitoring Committees (DMC) comprising of 2-3 members will be constituted at Projects/Power stations/ Units or at Regional levels to closely monitor the progress of CSR & Sustainability schemes.

9.2 In case of schemes/activities, that require specialized subject knowledge, the committee will comprise of experts from suitable external agencies including representative from NHPC.

9.3 Regular monitoring of progress will be done in respect of all key performance indicators covering physical and financial parameters.

के नोडल कार्यालय द्वारा मासिक आधार पर सूचित किया जाएगा। कार्यों की प्रगति को दर्शाने के लिए फोटोग्राफ/वीडियो के साथ रिकार्ड रखा जाएगा।

9.5 सीएसआर तथा धारणीयता परियोजनाओं/क्रियाकलापों का प्रभावी प्रबोधन तथा क्रियान्वयन भी नोडल अधिकारी (सीएसआर/धारणीयता) द्वारा उसके साथ कार्य करने वाली टीम की सहायता से किया जाएगा।

9.6 नामित नोडल अधिकारी सीएसआर तथा धारणीयता क्रियाकलापों के क्रियान्वयन की प्रगति के संबंध में सीएसआर तथा धारणीयता संबंधी बोर्ड स्तरीय समिति को त्रैमासिक आधार पर नियमित रूप से रिपोर्ट प्रस्तुत करेंगे।

9.7 एनएचपीसी भी समय पर जहां–कहीं संभव हो लाभग्राहियों से क्रियाकलापों के क्रियान्वयन और उसके परिणामों के संबंध में फीडबैक प्राप्त करेगी और यदि अपेक्षित हो, तो सुधार हेतु आवश्यक कार्रवाई करेगी।

10. कार्य–निष्पादन, प्रभाव आकलन और रिपोर्टिंग का मूल्यांकन

10.1 क्रियान्वयन हेतु ली गई सीएसआर तथा धारणीयता परियोजनाओं/क्रियाकलापों का मूल्यांकन समझौता–ज्ञापन ढांचे के अंतर्गत जहां कहीं अपेक्षित हो भौतिक तथा वित्तीय लक्ष्यों की प्राप्ति हेतु किया जाएगा।

10.2 एक करोड़ रुपये या अधिक के परिव्यय वाली सीएसआर परियोजनाओं के लिए एक स्वतंत्र एजेंसी के माध्यम से प्रभाव मूल्यांकन अध्ययन किया जाएगा और जो प्रभाव अध्ययन शुरू करने से कम से कम एक वर्ष पहले पूरा किया गया है। सीएसआर सस्टेनेबिलिटी पहल की सफलता या विफलता की डिग्री को मापने के लिए योजना के समय तय किए गए नियोजित बेंचमार्क के प्रभाव का आकलन और तुलना की जाएगी।

10.3 प्रभाव मूल्यांकन रिपोर्टें बोर्ड के समक्ष रखी जाएगी और इसे सीएसआर वार्षिक रिपोर्ट के साथ संलग्न किया जाएगा।

10.4 प्रभाव आकलन करने पर व्यय उस वित्तीय वर्ष के लिए सीएसआर के लिए दर्ज किया जा सकता है, जो उस वित्तीय वर्ष के लिए कुल सीएसआर व्यय के पांच प्रतिशत या पचास लाख रुपये, जो भी कम हो, से अधिक नहीं होगा।

10.5 संगठन के स्वयं के मूल्यांकन और साथ ही साथ समझौता–ज्ञापन प्रतिबद्ध ताओं के प्रति कार्य–निष्पादन के मूल्यांकन के प्रयोजन हेतु रूटीन प्रबोधन और फील्ड प्रगति रिपोर्टों के अतिरिक्त प्रगति/उपलब्धियों तथा प्रभावों के वीडियो–ग्राफिक/ फोटोग्राफिक रिकार्डों को व्यवस्थित रूप से प्रलेखित किया जाता है।

9.4 The progress of CSR & Sustainability schemes under implementation at each of the location will be reported by the DMC to Nodal Office of CSR & Sustainability at Corporate Office on a monthly basis. Records will be maintained along with photographs/videos to show progress of works.

9.5 Effective oversight & implementation of CSR & Sustainability Projects/ Activities will also be exercised by the Nodal Officer (CSR/Sustainability) with the assistance of the team working with him.

9.6 The designated Nodal Officer will regularly submit reports regarding the progress of implementation of CSR and Sustainability activities to the Committee of Directors on CSR & Sustainability on quarterly basis containing reference to the approved timelines and year-wise allocation.

9.7 NHPC will also obtain feedback from beneficiaries about the implementation of activities and its outcome from time to time wherever possible and would take necessary actions, if required, for improvement.

10. EVALUATION OF PERFORMANCE, IMPACT ASSESSMENT AND REPORTING

10.1 The CSR & Sustainability Projects/activities under taken for implementation will be evaluated under the MoU framework for the achievement of Physical and Financial targets wherever required.

10.2 Impact assessment studies shall be carried out through an independent agency, for CSR projects having an outlay of one crore rupees or more and which have been completed not less than one year before undertaking the impact study. The impact will be assessed and compared against the planned benchmarks fixed at the time of planning to gauge the degree of success or failure of the CSR / Sustainability initiative.

10.3 The impact assessment reports shall be placed before the Board and shall be annexed to the annual report on CSR.

10.4 The expenditure on undertaking the impact assessment may be booked towards CSR for that financial year, which shall not exceed five percent of the total CSR expenditure for that financial year or fifty lakh rupees, whichever is less.

10.5 Video-graphic / Photographic records of the progress / achievements and impacts are systematically documented apart from the routine

10.6 एनएचपीसी द्वारा लिए गए सीएसआर तथा धारणीयता नीति एवं पहलों के प्रकटीकरण को भारत सरकार के विद्यमान व्यवहारों तथा दिशा–निर्देशों के अनुरूप एनएचपीसी की वेबसाइट पर डाला जाएगा।

10.7 सीएसआर राशि एक पूंजीगत संपत्ति के सृजन अथवा अधिग्रहण के लिए व्यय किया जाएगा, जिसे निम्नलिखित द्वारा धारित किया जाएगा–

(क) अधिनियम की धारा 8 और नियम 4 के उप–नियम (2) के अधीन परोपकार्थ उद्देश्यों सीएसआर रजिस्ट्रीकरण संख्या वाले रजिस्ट्रीकृत सार्वजनिक न्यास अथवा रजिस्ट्रीकृत सोसायटी के अधीन स्थापित कंपनीय अथवा

(ख) स्वयं सहायता समूहों, संगठनों, कम्पनियों के रूप में उक्त सीएसआर परियोजना के लाभार्थीय।

(ग) लोक प्राधिकारी

10.8 कंपनी का बोर्ड, धारा 135 की उप–धारा (5) के तहत प्रदान की गई अपेक्षा से अधिक व्यय की गई किसी भी सीएसआर राशि को तत्काल उत्तरवर्ती 03 वित्तीय वर्षों तक, इस 'शर्त के अधीन सेट ऑफ कर सकता है कि सेट ऑफ के लिए उपलब्ध अतिरिक्त राशि में सीएसआर नीति के खंड 7–9 के अनुसार, सीएसआर गतिविधियों से उत्पन्न अधिशेष, यदि कोई हो, शामिल नहीं होगा और कंपनी का बोर्ड इस संबंध में एक प्रस्ताव पारित करेगा।

10.9 सीएसआर तथा धारणीयता पहलों और उपलब्धियों के संक्षिप्त सार लागू प्रावधानों/नियमों/दिशानिर्देशों के अनुसार एनएचपीसी की वार्षिक रिपोर्ट में भी शामिल किया जाएगा।

11. समझौता ज्ञापन मूल्यांकन

11.1 समझौता–ज्ञापन ढांचे के अंतर्गत सीएसआर तथा धारणीयता पहलों का मूल्यांकन वर्ष के लिए लागू समझौता ज्ञापन मूल्यांकन की दिशा–निर्देशों के अनुसार किया जाएगा।

monitoring and field progress reports for the purposes of organization's own appraisal as well as for evaluation of performance against the MoU commitments.

10.6 Disclosure of the composition of the CSR Committee, CSR & Sustainability Policy, Projects approved by the Board and initiatives undertaken by NHPC will be posted on NHPC's website in line with the existing practices and guidelines of Government of India.

10.7 The CSR amount may be spent for creation or acquisition of a capital asset, which shall be held by-

(a) A company established under section 8 of the Act, or a Registered Public Trust or Registered Society, having charitable objects and CSR Registration Number sub-rule (2) of rule 4; or

(b) beneficiaries of the said CSR project, in the form of self-help groups, collectives, entities; or

(c) a public authority

10.8 The Board of the company, can set off any CSR amount spent in excess of requirement provided under sub-section (5) of section 135, up to immediate succeeding 03 financial years, subject to the condition that the excess amount available for set off shall not include the surplus arising out of CSR activities, if any in terms of clause 7.9 of CSR policy and Board of the company shall pass a resolution in this regard.

10.9 A brief summary of CSR & Sustainability initiatives and achievements will also be included in the Annual Report of NHPC as per applicable provisions/rules/guidelines.

11. MOU EVALUATION

11.1 Evaluation of CSR & Sustainability initiatives under the MoU framework will be done in accordance with the Guidelines for MOU evaluation applicable for the year.

अनुलग्नक–I

अनुसूची VII

(धारा 135 देखें)

कंपनियों द्वारा अपनी कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व नीति में निम्नलिखित से संबंधित गतिविधियों को शामिल किया जा सकता है :–

i. भूख, निर्धनता और कुपोषण का उन्मूलन करना, निवारक स्वास्थ्य देखभाल और स्वच्छता सहित स्वास्थ्य देखभाल को बढ़ावा देना और स्वच्छता को बढ़ावा देने और स्वच्छ पेयजल उपलब्ध कराने के लिए केन्द्र सरकार द्वारा स्थापित किए गए 'स्वच्छ भारत कोष में अंशदान देना'।

ii. शिक्षा को प्रोत्साहित करना जिसमें विशेष रूप से बच्चों, औरतों, युवाओं और भिन्न रूप से दिव्यांग जनों हेतु शिक्षा एवं रोजगार वृद्धि के लिए वृत्तिरक कौशल आदि शामिल है।

iii. समानता को प्रोत्साहित करना, महिला सशक्तिकरण, औरतों और अनाथों के लिए घरों एवं धर्मशालाओं को बनवाना, पुराने घरों को बनवाना, शिशु सदनों एवं वरिष्ठ नागरिकों हेतु ऐसी अन्य सुविधाएं तथा सामाजिक एवं आर्थिक रूप से पिछड़े समूहों की असमानता को कम करने हेतु उपाय करना।

iv. पर्यावरणीय धारणीयता को सुनिश्चित करना, पारिस्थितिकी संतुलन, वनस्पत व जंतु समूह का संरक्षण, पशु कल्याण, कृषि वानकी, प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण, मिट्टी, हवा और पानी की गुणवत्ता को बनाएं रखना और गंगा नदी कायाकल्प करने के लिए केंद्र सरकार द्वारा स्थापित किए गए 'स्वच्छ गंगा नीधि में अंशदान देना'।

v. भवनों की मरम्मत और स्थलों की ऐतहासिक महत्ता सहित राष्ट्रीय धरोहर, कला, संस्कृति का संरक्षण, सार्वजनिक पुस्तकालयों की स्थापना, पारंपरिक कलाओं एवं हस्त शिल्प कलाओं को बढ़ावा देना।

vi. सशस्त्र बलों के सेवानिवृत्त सैनिकों, युद्ध में शहीद सैनिकों की विधवाओं और उनके आश्रित, केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल (सीएपीएफ) और केंद्रीय अर्ध–सैनिक बल (सीपीएमएफ) के सेवानिवृत सैनिक और विधवाओं सहित उनके आश्रित को लाभ देने हेतु उपाय करना।

vii. ग्रामीण खेलों, मान्यता प्राप्त राष्ट्रीय खेलों, पैरा–ओलंपिक खेलों और ओलंपिक खेलों को प्रोत्साहित करने हेतु प्रशिक्षण।

Annexure-I

SCHEDULE VII

(See Section 135)

Activities which may be included by companies in their Corporate Social Responsibility Policies Activities relating to:—

(i) Eradicating hunger, poverty and malnutrition, promoting health care including preventive health care and sanitation including contribution to the Swach Bharat Kosh set-up by the Central Government for the promotion of sanitation and making available safe drinking water.

(ii) promoting education, including special education and employment enhancing vocation skills especially among children, women, elderly and the differently abled and livelihood enhancement projects.

(iii) promoting gender equality, empowering women, setting up homes and hostels for women and orphans; setting up old age homes, day care centres and such other facilities for senior citizens and measures for reducing inequalities faced by socially and economically backward groups.

(iv) ensuring environmental sustainability, ecological balance, protection of flora and fauna, animal welfare, agroforestry, conservation of natural resources and maintaining quality of soil, air and water including contribution to the Clean Ganga Fund set-up by the Central Government for rejuvenation of river Ganga.

(v) protection of national heritage, art and culture including restoration of buildings and sites of historical importance and works of art; setting up public libraries; promotion and development of traditional art and handicrafts;

(vi) measures for the benefit of armed forces veterans, war widows and their dependents, Central Armed Police Forces (CAPF) and Central Para Military Forces (CPMF) veterans, and their dependents including widows;

(vii) training to promote rural sports, nationally recognized sports, paralympic sports and Olympic sports

(viii) contribution to the prime minister's national relief fund or Prime Minister's Citizen Assistance and Relief in Emergency Situations Fund (PM CARES Fund)] or any other fund set up by the central govt. for socio economic

viii. प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष या अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति या अन्य पिछड़े वर्गों या अल्पसंख्यकों, महिलाओं का सामाजिक आर्थिक विकास, राहत व कल्याण हेतु केंद्रीय सरकार द्वारा बनाई गई किसी अन्य निधि में योगदान।

ix. (क) केंद्रीय सरकार या राज्य सरकार द्वारा वित्त – पोषित या केंद्रीय सरकार या राज्य सरकार के पब्लिक सैक्टर उपक्रम या अभिकरण द्वारा वित्त – पोषित इनक्यूबेटरों अथवा विज्ञान, प्रौद्योगिकी, इंजीनियरी और औषध के क्षेत्र में अनुसंधान और विकास परियोजनाओं को अभिदाय और

(ख) धारणीय विकास लक्ष्यों (एसडीजीएस) को बढावा देने के उद्देश्य से विज्ञान, प्रौद्योगिकी, इंजीनियरी और औषध के क्षेत्र में अनुसंधान कार्य के संचालन में कार्यरत परमाणु ऊर्जा विभाग (डीएई) य जैव प्रौद्योगिकी विभाग (डीबीटी) य विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग (डीएसटी) य औषध विभाग य आयुर्वेद, योग और प्राकृतिक चिकित्सा, यूनानी, सिद्ध और होम्योपेथी मंत्रालय (आयुष)। इलेक्ट्रानिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय और अन्य निकायों, अर्थात् रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन (डीआरडीओ)। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद (आईसीएआर) भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद् (आईसीएमआर); और वैज्ञानिक एवं औद्योगिक अनुसंधान परिषद (सीएसआईआर) के अधीन स्थापित लोक वित्त पोषित विश्वविद्यालयों; भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थानों (आईआईटीएस); राष्ट्रीय प्रयोगशालाओं और स्वायत्त निकायों को अभिदाय।

x. ग्रामीण विकास योजनाएं

xi. झुग्गी बस्ती क्षेत्र का विकास

स्पष्टीकरण : झुग्गी बस्ती क्षेत्र का अर्थ 'केन्द्र सरकार या किसी राज्य सरकार या कुछ समय के लिए लागू किसी विधि के तहत किसी सक्षम प्राधिकारी द्वारा घोषित किया गया कोई क्षेत्र' होगा।

xii. आपदा प्रबंधन, राहत, पुनर्वास और पुनस्थापन गतिविधियों सहित

development and relief and welfare of the schedule caste, tribes, other backward classes, minorities and women;

(ix) (a) Contribution to incubators or research and development projects in the field of science, technology, engineering and medicine, funded by the Central Government or State Government or Public Sector Undertaking or any agency of the Central Government or State Government; and

(b) Contributions to public funded Universities; Indian Institute of Technology (IITs); National Laboratories and autonomous bodies established under Department of Atomic Energy (DAE); Department of Biotechnology (DBT); Department of Science and Technology (DST); Department of Pharmaceuticals; Ministry of Ayurveda, Yoga and Naturopathy, Unani, Siddha and Homoeopathy (AYUSH); Ministry of Electronics and Information Technology and other bodies, namely Defense Research and Development Organisation (DRDO); Indian Council of Agricultural Research (ICAR); Indian Council of Medical Research (ICMR) and Council of Scientific and Industrial Research (CSIR), engaged in conducting research in science, technology, engineering and medicine aimed at promoting Sustainable Development Goals (SDGs).

(x) rural development projects

(xi) slum area development.

Explanation.- For the purposes of this item, the term `slum area' shall mean any area declared as such by the Central Government or any State Government or any other competent authority under any law for the time being in force.

(xii) disaster management, including relief, rehabilitation and reconstruction activities.

टिप्पणियां/Notes

टिप्पणियां/Notes

टिप्पणियां/Notes

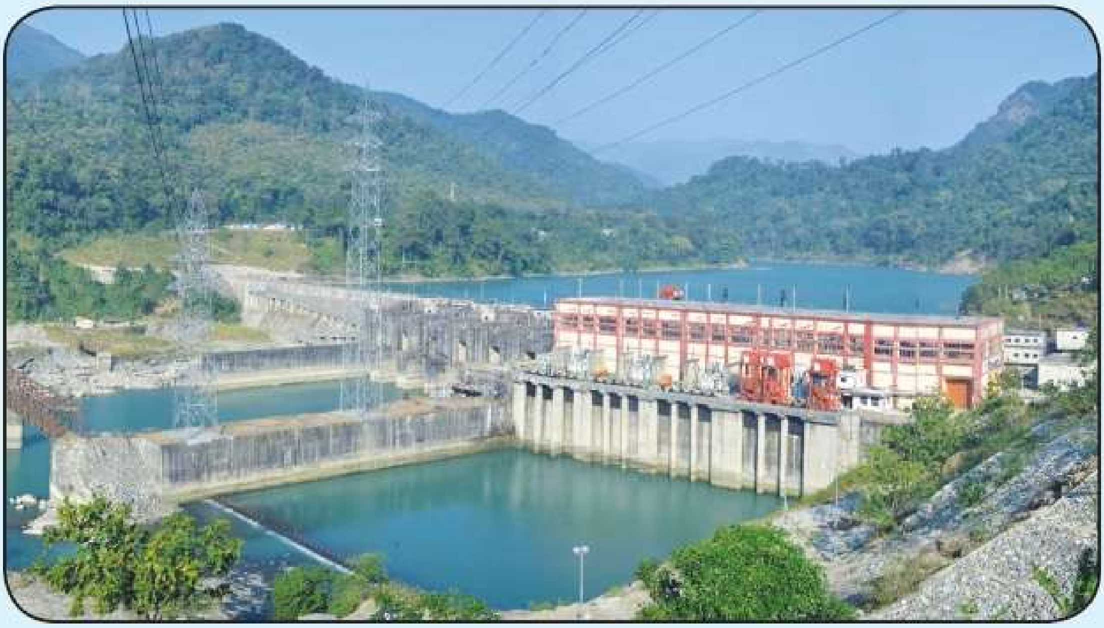

तीस्ता लो डैम–IV पावर स्टेशन का दृश्य
View of Teesta Low Dam-IV Power Station

एनएचपीसी लिमिटेड
NHPC Limited
(भारत सरकार का उद्यम)
(A Government of India Enterprise)

एनएचपीसी लिमिटेड, सेक्टर–33, फरीदाबाद (हरियाणा)-121003 (भारत)
NHPC Office Complex, Sector-33, Faridabad (Haryana)-121003 (India)

CIN : L40101HR1975GOI032564
वेबसाइट : www.nhpcindia.com

Printed by : I.G. Printers Pvt. Ltd., New Delhi -110020